भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3652

10.08.2026 को उत्तर के लिए

महानगरों में प्रदूषण

3652. डॉ. थोल तिरूमावलवन :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महानगरों, विशेषकर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास प्रदूषण के कारकों का क्षेत्र-वार (कृषि, उद्योग, ऑटोमोबाइल क्षेत्र) ब्यौरा उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रदूषण के स्तर को स्थिर रखने, कम करने और इसे पूर्व स्थिति में लाने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): सरकार ने वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया है जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और सूरत जैसे प्रमुख महानगरों सहित 24 राज्यों संघ राज्यक्षेत्रों के 130 शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध और राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है। एनसीएपी के तहत सभी 130 शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार उपायों को लागू करने के लिए शहर-विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं ताकि संबंधित शहरों में वायु प्रदूषण स्रोतों जैसे मिट्टी और सड़क धूल, वाहनों के उत्सर्जन, अपशिष्ट जलाने, निर्माण और विध्वंस कार्यकलापों और औद्योगिक प्रदूषण को लक्षित किया जा सके।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत वायु प्रदूषण शमन उपायों को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर वित्तपोषण के रूप में वित्त वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक लक्षित शहरों को 16,423.56 करोड़ रुपये का वायु गुणवत्ता प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन अनुदान जारी किया गया है।

वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 में एनसीएपी के तहत मेट्रो शहरों में पीएम10 सांद्रता में कमी के संदर्भ में वायु गुणवत्ता में सुधार का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

वायु प्रदूषण के लिए ज़िम्मेदार अलग-अलग कारणों की पहचान करने और एनसीएपी के तहत शहर की कार्य योजनाओं में वायु की गुणवत्ता सुधारने से संबंधित उपायों को प्राथमिकता देने के लिए, दिल्ली सहित एनसीएपी शहरों में स्रोत निर्धारण (एसए) अध्ययन किया गया है। महानगरों में किए गए स्रोत निर्धारण अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के स्रोतों की सूचना **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया।

अनुलग्नक-I

एनसीएपी के अंतर्गत वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना वित्त वर्ष 2025-26 में महानगरों में पीएम10 की सांद्रता में सुधार

क्र. सं.	शहर	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 में सुधार (% में)
		$पीएम_{10}$ की औसत सांद्रता (माइक्रोग्राम/घन मीटर)	$पीएम_{10}$ की औसत सांद्रता (माइक्रोग्राम/घन मीटर)	
1	मुंबई	161	81	49.7
2	कोलकाता	147	87	40.8
3	सूरत	130	79	39.2
4	अहमदाबाद	164	101	38.4
5	हैदराबाद	110	80	27.3
6	बेंगलूरु	92	76	17.4
7	दिल्ली	241	200	17.0
8	पुणे	102	97	4.9
9	चेन्नई	66	69	-4.5

अनुलग्नक-II

प्रमुख शहरों में स्रोत विभाजन अध्ययन और वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत

शहर	पीएम10 स्तरों में योगदान देने वाले प्रमुख स्रोत
अहमदाबाद	• धूल (सड़क की धूल, निर्माण कार्य से उत्पन्न धूल, पुनःनिलंबित/हवा से उड़ी धूल) • आवासीय/घरेलू उत्सर्जन • उद्योग (विद्युत संयंत्रों सहित) • परिवहन उत्सर्जन
बंगलूरू	• धूल (सड़क की धूल, निर्माण कार्य से उत्पन्न धूल, मृदा) • परिवहन उत्सर्जन
दिल्ली	• धूल (सड़क की धूल, निर्माण कार्य से उत्पन्न धूल, पुनःनिलंबित/वायु द्वारा उड़ाई गई धूल) • परिवहन उत्सर्जन
मुंबई	• धूल (पुनःनिलंबित सड़क की धूल/वायु द्वारा उड़ाई गई धूल) • औद्योगिक उत्सर्जन/जीवाश्म ईंधन दहन
कोलकाता	• धूल (सड़क की धूल, निर्माण कार्य से उत्पन्न धूल, पुनःनिलंबित/वायु द्वारा उड़ाई गई धूल) • आवासीय उत्सर्जन • परिवहन उत्सर्जन
सूरत	• धूल (सड़क, मृदा और निर्माण कार्य से उत्पन्न धूल) • उद्योग/विद्युत संयंत्र
हैदराबाद	• सड़क की धूल • उद्योग से होने वाला उत्सर्जन
चेन्नई	• उद्योग, विद्युत संयंत्रों सहित • घरेलू/आवासीय स्रोत
पुणे	• सड़क की धूल, निर्माण कार्य से उत्पन्न धूल • जीवाश्म ईंधन दहन/औद्योगिक उत्सर्जन • वाहनों से होने वाला उत्सर्जन

अनुलग्नक-III

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

1.0 वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के उपाय:

- 1 अप्रैल, 2020 से देश के बाकी हिस्सों के लिए बीएस-IV से सीधे बीएस-VI ईंधन मानकों को अपनाना।
- अप्रैल 2020 से पूरे देश में बीएस-VI मानकों वाले वाहनों की शुरुआत।
- वाहनों में ईंधन भरते समय होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में प्रति माह 100 कि.ली. से अधिक और 1 लाख से 10 लाख के बीच आबादी वाले शहरों में प्रति माह 300 कि.ली. से अधिक पेट्रोल बेचने वाले नए और मौजूदा पेट्रोल पंपों पर वेपर रिकवरी सिस्टम (वीआरएस) स्थापित करना।
- भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की 'इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024' (ईएमपीएस 2024) के ज़रिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना।
- 'किफ़ायती परिवहन के लिए एक टिकाऊ विकल्प' (एसएटीएटी) पहल शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य कम्प्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र लगाना और ऑटोमोटिव ईंधन के तौर पर इस्तेमाल के लिए बाज़ार में सीबीजी उपलब्ध कराना है।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ई-वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करना।
- ट्रैफिक मूवमेंट के साथ तालमेल बिठाने/ लेन-ड्राइविंग के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम (आईटीएस) शुरू करना।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 'वाहन स्क्रैपिंग नीति' को लागू करने के लिए ज़रूरी ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से 'पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा' (आरवीएसएफ) और 'ऑटोमेटेड टेस्टिंग सिस्टम' (एटीएस) की स्थापना के बारे में अधिसूचना जारी किए हैं।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पूरे देश में 'प्रदूषण नियंत्रण' प्रमाण पत्र (पीयूसी) प्रणाली कार्यक्रम को बेहतर और मज़बूत बनाना।

2.0 औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करने के उपाय:

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की अनुसूची-I: 'विभिन्न उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सरण के लिए मानक' के तहत उद्योग-विशिष्ट निस्सरण मानक अधिसूचित किए। अब तक, 79 औद्योगिक सेक्टरों के लिए उद्योग-विशिष्ट पर्यावरण मानक अधिसूचित किए जा चुके हैं। जिन औद्योगिक सेक्टरों के लिए विशिष्ट मानक उपलब्ध नहीं हैं, उन पर पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-VI के तहत अधिसूचित किए गए सामान्य मानक लागू होंगे।

- निगरानी तंत्र को मज़बूत करने और स्व-नियामक तंत्र के ज़रिए नियमों की प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, सीपीसीबी ने अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की सभी 17 श्रेणियों को ओसीईएमएस लगाने का निर्देश दिया।

- सीपीसीबी ने 12.02.2025 के निर्देश के माध्यम से कुल 419 सेक्टर और उप-सेक्टर को लाल(125), नारंगी (137), हरा (61), सफेद (87) और नीली (9) श्रेणियों में बांटा है।

- भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की अनुसूची-I 'विभिन्न उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के मानक' के अंतर्गत उद्योग-विशिष्ट निर्वहन मानक अधिसूचित किए हैं। अब तक, 79 औद्योगिक क्षेत्रों (जिनमें 56 क्षेत्रों के लिए उत्सर्जन मानक शामिल हैं) के लिए उद्योग-विशिष्ट पर्यावरण मानक अधिसूचित किए जा चुके हैं। जिन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशिष्ट मानक उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-VI के अंतर्गत अधिसूचित सामान्य मानक लागू होंगे।

- जिन प्रक्रियाओं के लिए अनुमति दी गई है उन्हें छोड़कर, 26 जुलाई, 2018 से देश में आयातित पेट कोक के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है।

- सीपीसीबी ने 800 कि.वा. तक की सकल मैकेनिकल पावर वाले डीज़ल पावर जेनरेटिंग सेट इंजन के लिए रेट्रो-फिट उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण (आरईसीडी) की उत्सर्जन अनुपालना परीक्षण के लिए प्रणाली और प्रक्रिया तैयार किया है।

- 2022 में, सीपीसीबी ने अनिवार्य किया कि नए ईंट-भट्ठे ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी, वर्टिकल शाफ़्ट या पाइप्ड प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करें और विशिष्ट मानकों का पालन करें। साथ ही, मौजूदा भट्ठों को भी इन प्रौद्योगिकीयों में बदलना होगा या मंज़ूरी प्राप्त ईंधन का इस्तेमाल करना होगा।

- 2023 में, सीपीसीबी ने 800 कि.वा. तक के डीज़ल जेनरेटर (डीजी सेट) के लिए ज़्यादा सख़्त उत्सर्जन मानक (सीपीसीबी IV+) लागू किए। इसके तहत, जहाँ गैस इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, वहाँ डुअल-फ़्यूल सिस्टम (70% गैस, 30% डीज़ल) का इस्तेमाल ज़रूरी कर दिया गया और कम से कम 70% पीएम कैप्चरिंग क्षमता वाले रेट्रो फिट उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण (आरईसीडी) लगाना अनिवार्य कर दिया गया।

3.0 वायु की गुणवत्ता की निगरानी और नेटवर्क

- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक(एक्यूआई) 2015 में लॉन्च किया गया था। वायु गुणवत्ता बुलेटिन के माध्यम से सर्वसाधारण तक प्रतिदिन जानकारी पहुंचाई जा रही है।

- परिवेशी वायु गुणवत्ता नेटवर्क: देश में 1646 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (593 लगातार चलने वाले और 1053 मैनुअल) का नेटवर्क है, जो 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों के 603 शहरों को कवर करता है।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) एक केंद्रीकृत वायु गुणवत्ता निगरानी पोर्टल चलाता है, जिसमें प्रत्येक घंटे पीएम सांद्रता, निगरानी स्टेशनों का लाइव वायु गुणवत्ता डेटा और लाइव वायु गुणवत्ता सूचकांक जैसी अलग-अलग जानकारी को ट्रैक किया जाता है।
- पूरे भारत के शहरों के लिए एक्यूआई की जानकारी देने वाला एक्यूआई बुलेटिन सीपीसीबी की वेबसाइट पर प्रतिदिन प्रकाशित किया जाता है।

4.0 सी एण्ड डी अपशिष्ट और एमएसडब्ल्यू

- सीपीसीबी ने निम्नलिखित दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं (जो सीपीसीबी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं):

1. मार्च 2017 में 'निर्माण और विध्वंस (सी एण्ड डी) अपशिष्ट का पर्यावरणीय प्रबंधन'
2. नवंबर 2017 में 'निर्माण सामग्री और सी एण्ड डी अपशिष्ट को संभालने में धूल शमन के उपाय के उपायों पर दिशानिर्देश'
3. खुले की आग और लैंडफिल में आग लगने की समस्या से निपटने के लिए बायो-माइनिंग और बायो-रेमेडिएशन के माध्यम से पुराने अपशिष्ट का निपटान

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 'निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2025' अधिसूचित किए, जो 1 अप्रैल, 2026 से लागू हैं। ये नियम स्रोत पर अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों और अपशिष्ट पृथक्करण, पुनर्प्राप्ति, पुन:उपयोग और पुन:चक्रण पर केंद्रित है अलग-अलग हितधारकों की भूमिकाओं और जवाबदेही पर ज़ोर देते हैं। इन संशोधित नियमों में, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पैदा करने वालों के लिए बेहतर प्रबंधन के कई प्रावधान किए गए हैं, जिसमें ऐसे अपशिष्ट की रीसाइक्लिंग के लिए 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व' (ईपीआर) भी शामिल है।
- सीपीसीबी ने सभी एसपीसीबी/पीसीसी को निर्देश जारी किए हैं कि वे 20,000 वर्ग मीटर से ज़्यादा क्षेत्रफल वाली निर्माण परियोजनाओं/साइट्स पर एंटी-स्मॉग गन लगाएं और धूल कम करने के उचित उपाय लागू करें। सीपीसीबी ने निर्माण और विध्वंस परियोजनाओं में एंटी-स्मॉग गन के इस्तेमाल के लिए दिशानिर्देश/उपाय जारी किए हैं।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियम, 2026' अधिसूचित किए, जो अप्रैल 2026 से लागू होंगे। संशोधित नियमों में 'सर्कुलर इकोनॉमी' और 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व' के सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जिसमें अपशिष्ट के सही पृथक्करण और उसके प्रबंधन पर खास ध्यान दिया गया है। इन नियमों में नियमों का पालन न करने पर 'पॉल्यूटर पेज़' (प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करेगा) सिद्धांत के आधार पर पर्यावरण मुआवज़ा लगाने का प्रावधान है; इसमें बिना पंजीकरण के काम करना, गलत रिपोर्टिंग, जाली दस्तावेज़ जमा करना या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के गलत तरीके अपनाना जैसे मामले शामिल हैं।

- सीपीसीबी ने जनवरी 2021 में सभी एसपीसीबी/पीसीसी को पुराने अपशिष्ट की बायो-माइनिंग से जुड़े एसडब्ल्यूएम नियम-2016 के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश जारी किए।
- सीपीसीबी ने मई 2022 में सभी एसपीसीबी/पीसीसी को एमएसडब्ल्यू डंपसाइट्स पर आग लगने की घटनाओं के संबंध में एसडब्ल्यूएम नियम-2016 को लागू करने के निर्देश जारी किए।

5.0 फसल अवशेषों को जलाने पर नियंत्रण के उपाय

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफडब्ल्यू) द्वारा वर्ष 2018-19 से फसल अवशेष प्रबंधन नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2018-19 से 2026-27 तक (29.07.2026 तक), संबंधित राज्यों को कुल 4550.451 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है (पंजाब - 2206.28 करोड़ रुपये, हरियाणा - 1220.42 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश - 911.03 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश - 90.218 करोड़ रुपये, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - 7.405 करोड़ रुपये, आईसीएआर - 107.378 करोड़ रुपये और अन्य - 7.7205 करोड़ रुपये)। राज्यों ने प्रत्येक किसान को 3.54 लाख से अधिक मशीनें वितरित की हैं और इन राज्यों में 43,508 से अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) स्थापित किए हैं।
- विद्युत मंत्रालय ने 7 नवंबर, वर्ष 2025 को कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों में बायोमास को साथ में जलाने के लिए एक नीति जारी की है। इस नीति के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर स्थित कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों को 2025-26 से 5 प्रतिशत (वजन के अनुसार) बायोमास पेलेट्स या टॉरिफाइड नगर ठोस अपशिष्ट चारकोल को साथ में जलाना अनिवार्य है।
- राज्य रिमोट सेंसिंग केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के परामर्श से उपग्रह डेटा का उपयोग करके इसरो द्वारा फसल अवशेष जलाने से उत्पन्न आग की घटनाओं के आकलन के लिए एक मानक प्रोटोकॉल विकसित किया गया था और इसे सीएक्यूएम द्वारा अगस्त 2021 में जारी किया गया था। इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल फसल के अवशेष जलाने की घटनाओं पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। आईएआरआई अपनी सीआरईएएमएस लैब के ज़रिए, धान और गेहूं की कटाई के मौसम में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में इस प्रोटोकॉल के आधार पर आग लगने की घटनाओं का रोज़ाना डेटा जारी करता है।
- सीएक्यूएम ने दिल्ली से 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित थर्मल पावर प्लांटों और एनसीआर में स्थित औद्योगिक इकाइयों के कैप्टिव पावर प्लांटों में कोयले के साथ 5-10% बायोमास को साथ में जलाने के निर्देश जारी किए हैं।
- सीएक्यूएम ने पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं कि वे एनसीआर से बाहर के जिलों में स्थित सभी ईंट भट्टों में धान के भूसे से बने बायोमास पेलेट्स/ब्रिकेट्स का उपयोग अनिवार्य करें, ताकि धान की पराली जलाने की प्रथा को समाप्त किया जा सके। इसका उद्देश्य धान के भूसे से बने पेलेट्स/ब्रिकेट्स का 50% सह-दहन करना है, जिसमें से

कम से कम 20% 01.11.2025 से, 30% 01.11.2026 से, 40% 01.1.2027 से और 50% 01.11.2028 से प्रभावी होना चाहिए।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने धान के पुआल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पेलेटाइजेशन और टॉरफेक्शन संयंत्रों की स्थापना हेतु पर्यावरण संरक्षण प्रभार निधि के अंतर्गत एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।
- अब तक 32 पेलेटाइजेशन संयंत्रों को मंजूरी दी जा चुकी है (पंजाब में 25 और हरियाणा में 7) जिनकी लागत 34.72 करोड़ रुपये है। स्वीकृत 32 संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता 137 टीपीएच है और इनसे प्रतिवर्ष 6.36 लाख टन धान के भूसे का उपयोग करके 4.93 लाख टन पेलेट का उत्पादन होने की उम्मीद है।

6.0 हितधारकों के साथ नियमित बातचीत, जनता और मीडिया तक पहुंच

- सीपीसीबी ने 'समीर' नाम का एक मोबाइल ऐप बनाया है, जिसमें एक्यूआई समेत कई पैमानों के आधार पर रियल-टाइम एम्बिएंट एयर क्वालिटी का डेटा मिलता है। 'समीर' ऐप जनता को एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण से जुड़ी शिकायतें दर्ज करने की सुविधा भी देता है और ऐसी शिकायतें अलग-अलग स्थानीय एजेंसियों को सौंपी जाती हैं।
- जनता तक पहुंचने के लिए एक समर्पित मीडिया कॉर्नर और ट्विटर व फेसबुक अकाउंट भी बनाए गए हैं।
- समीर ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर शिकायतों के समाधान की निगरानी की जाती है और समाधान की स्थिति संबंधित एजेंसियों के साथ साझा की जाती है।
- सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर रोज़ाना एक्यूआई की स्थिति साझा की जाती है। साथ ही, वायु प्रदूषण, पटाखे, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, पराली जलाना, संधारणीय जीवनशैली आदि से जुड़े विभिन्न अभियान और जानकारीपूर्ण पोस्ट भी नियमित रूप से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट किए जाते हैं।
